रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27112020-223373
CG-DL-E-27112020-223373

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3749] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 27, 2020/अग्रहायण 6, 1942
No. 3749] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 27, 2020/AGRAHAYANA 6, 1942

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2020

का.आ. 4254(अ).—केंद्रीय सरकार, तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय में, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना (जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिसूचना कहा गया है) संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 को प्रकाशित कर चुकी है, उक्त अधिसूचना की अनुसूची में सूचीबद्ध नई परियोजनाओं और क्रियाकलापों के लिए उनके विस्तार और आधुनिकीकरण और/या उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन, यथास्थिति, परियोजना प्रबंधन द्वारा भूमि को अभिप्राप्त करने के सिवाय, कोई संनिर्माण कार्य या भूमि तैयार करने से पूर्व संबंधित विनियामक प्राधिकरण से पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति अपेक्षित होगी ।

और, कोरोना वायरस (कोविड-19) के प्रकोप को देखते हुए और तत्पश्चात् इसके नियंत्रण के लिए घोषित लॉकडाउन (पूर्ण या आंशिक) ने, क्षेत्र में परियोजनाओं और क्रियाकलापों के कार्यान्वयन को प्रभावित किया है क्योंकि कोविड-19 महामारी अभी समाप्त नहीं हुई है, मंत्रालय उक्त अधिसूचना में अनुज्ञात पूर्व पर्यावरणीय अनापत्तियों की अधिकतम अवधि से परे विधिमान्यता के विस्तार के लिए अनुरोधों की संख्या प्राप्ति में है । मंत्रालय में मामले की पड़ताल की गई है और लॉकडाउन के कारण (पूर्ण या आंशिक) क्षेत्र में क्रियाकलापों का जारी रखना कठिन हो सकता है, तथ्य को ध्यान में रखते हुए चिंता वास्तविक है ।

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का

प्रयोग करते हुए, लोकहित में उक्त नियमों के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति के पश्चात् भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, पैरा 9 के पश्चात् और पैरा 10 के पहले निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"9क. इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, परियोजनाओं और क्रियाकलापों के संबंध में इस अधिसूचना के प्रावधानों के अधीन स्वीकृत की गई पूर्व पर्यावरणीय अनापत्तियों की विधिमान्यता जिसकी विधिमान्यता वित्तीय वर्ष 2020-2021 में समाप्त हो रही है, को 31 मार्च, 2021 या विधिमान्यता समाप्ति की तारीख से छह मास, जो भी बाद में हो, तक विस्तारित किया जाना समझा जाएगा । ऐसा विस्तार संबंधित अनापत्ति पत्रों में पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति उन्हीं निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन है कि ऐसी परियोजनाओं और क्रियाकलापों का अविच्छिन्न संचालन जो कोराना वायरस (कोविड-19) के प्रकोप और तत्पश्चात् इसके नियंत्रण के लिए घोषित लॉकडाउन (पूर्ण या आंशिक) के कारण रूके हुए हैं, सुनिश्चित किया जा सके ।

[फा. सं. 22-25/2020-आईए.III]

गीता मेनन, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3752 (अ), तारीख 20 अक्तूबर, 2020 द्वारा अंतिम रूप से संशोधित की गई थी ।

IndiaCode

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th November, 2020

S.O. 4254(E).—Whereas, the Central Government in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, in exercise of its powers under sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 has published the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (hereinafter referred to as the said notification) *vide* number S.O.1533(E), dated the 14th September, 2006, making the requirement of prior environmental clearance from the concerned regulatory authority mandatory for all new projects or activities listed in the Schedule to the said notification, their expansion and modernization and/or change in product mix, as the case may be, before any construction work or preparation of land by the project management except for securing the land;

And whereas, in view of the outbreak of Corona Virus (COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, implementation of projects or activities in the field has been affected. Ministry is in receipt of number of requests for extension of the validity of prior environmental clearances beyond the maximum period allowed in the said Notification, as the COVID19 pandemic has not yet come to an end. The matter has been examined in the Ministry and the concern is genuine keeping in view the fact that due to lockdowns (total or partial), continuation of activities in the field may be difficult.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government, after having dispensed with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the said rules in public interest, hereby makes the following further amendments in the notification of Government of India, in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, *vide* number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (II), namely:-

In the said notification, after paragraph 9 and before paragraph 10, the following shall be inserted, namely:-

"9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the validity of prior environmental clearances granted under the provisions of this notification in respect of the projects or activities whose validity is expiring in the Financial Year 2020-2021 shall deemed to be extended till the 31st March, 2021 or six months from the date of expiry

of validity, whichever is later. Such extension is subject to same terms and conditions of the prior environmental clearance in the respective clearance letters, to ensure uninterrupted operations of such projects or activities which have been stalled due to the outbreak of Corona Virus (COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control".

[F. No. 22-25/2020-IA.III]

GEETA MENON, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and was last amended vide the notification number S.O. 3752(E), dated the 20th October, 2020.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.